#### HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON FRIDAY, THE 4<sup>TH</sup> MARCH, 2022 AT 10.00 A.M.

#### I. **QUESTIONS.**

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

#### RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S II. ADDRESS.

RESUMPTION of general discussion on the following motion moved by Shri Mahipal Dhanda, M.L.A. on the 3<sup>rd</sup> March, 2022, namely:-

> "That an address be presented to the Governor in the following terms:-

> > 'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 2<sup>nd</sup> March, 2022 at 2.00 P.M.'."

#### **ESTIMATES** III. PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY (THIRD INSTALMENT) FOR THE YEAR 2021-2022 AND THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE THEREON.

Supplementary THE FINANCE MINISTER present the Estimates (i) (Third Instalment) 2021-2022.

to present the Report of the Committee on THE CHAIRPERSON, (ii) Estimates on the Supplementary Estimates (Third **ESTIMATES COMMITTEE** Instalment) 2021-2022.

#### SUPPLEMENTARY ESTIMATES (THIRD INSTALMENT) 2021-2022. IV.

Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State. 1.

Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants. 2.

to move that a supplementary sum not Supplementary Demand A MINISTER Estimates 2021-22 exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be No. 03 (3<sup>rd</sup> Installment) granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of Demand No. 03- General Administration

to move that a supplementary sum not A MINISTER Demand exceeding ₹868,45,11,000/- for revenue No. 06 expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022

in respect of **Demand No. 6-Finance**.

Demand A MINISTER No. 15

to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of Demand No. 15-Local Government.

Supplementary Estimates 2021-22. (3<sup>rd</sup> Installment)

Supplementary

Estimates 2021-22

(3<sup>rd</sup> Installment)

Demand A MINISTER to move that a supplementary sum not Supplementary exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure Estimates 2021-22 No. 19 (3<sup>rd</sup> Installment) be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of Demand No. 19-Welfare for SCs and BCs Demand A MINISTER to move that a supplementary sum not Supplementary ₹900,00,00,000/- for revenue Estimates 2021-22 exceeding No. 20 (3<sup>rd</sup> Installment) expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of **Demand No. 20-Social Security** and Welfare to move that a supplementary sum not Demand A MINISTER Supplementary exceeding ₹4,000/- for revenue expenditure Estimates 2021-22 No. 27 (3<sup>rd</sup> Installment) and ₹2,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of Demand No. 27-Agriculture Demand A MINISTER to move that a supplementary sum not Supplementary exceeding ₹3,000/- for capital expenditure be Estimates 2021-22 No. 28 (3<sup>rd</sup> Installment) granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2022 in respect of Demand No. 28- Animal Husbandry Demand A MINISTER move that a supplementary sum not Supplementary exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be Estimates 2021-22 No. 32 (3<sup>rd</sup> Installment) granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2022 in respect of **Demand No. 32- Rural & Community** Development Demand A MINISTER to move that a supplementary sum not Supplementary exceeding ₹2,000/- for revenue expenditure Estimates 2021-22 No. 35 (3<sup>rd</sup> Installment) be granted to the Governor to defray charges

# V. MOTION UNDER RULE 121.

#### A MINISTER

to move that the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the:-

i) Committee on Public Accounts;

that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2022 in respect of

Demand No. 35-Tourism.

- ii) Committee on Estimates;
- iii) Committee on Public Undertakings; and
- iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes for the year 2022-2023 be suspended.

#### ALSO to move:-

"that this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2022-2023, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House".

### VI. <u>LEGISLATIVE BUSINESS.</u>

(Bills to be introduced)

1. The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2022 A MINISTER to move for leave to introduce the Haryana

Prevention of Unlawful Conversion of

Religion Bill;

Also to introduce the Bill.

2. The Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2022

A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana

Prohibition of Change of Public Utilities Bill;

Also to introduce the Bill.

CHANDIGARH: THE 3<sup>RD</sup> MARCH, 2022. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

\*\*\*\*\*

## हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 मार्च, 2022 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

#### I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

# II. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।

3 मार्च, 2022 को श्री महिपाल ढांडा, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का **पुनरारम्भण**, अर्थात्:—

''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:—

> 'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 2 मार्च, 2022 को 2.00 बजे मध्याह्न—पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।'।''

# III. <u>2021–2022</u> के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(i) वित्त मंत्री 2021—2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत

करेंगे।

(ii) चेयरपर्सन, 2021–2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

## IV. 2021-2022 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)

- 1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
- 2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 3 **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत अनुपूरक अनुमान खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या

3—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को (तीसरी किस्त)

समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की

जाए।

मांग संख्या 6 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 868,45,11,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6—वित्त के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

अनुपूरक अनुमान 2021—2022

(तीसरी किस्त)

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत मांग संख्या 15 अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या (तीसरी किस्त) 15-स्थानीय शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व मांग संख्या 19 अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या (तीसरी किस्त) 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। मांग संख्या 20 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 900,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, (तीसरी किस्त) मांग संख्या 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। मांग संख्या 27 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 4,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए (तीसरी किस्त) 2,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या <u>27-कृषि</u> के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। मांग संख्या 28 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 3,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या (तीसरी किस्त) **28— पशु पालन तथा डेयरी विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत मांग संख्या 32 अनुपूरक अनुमान 2021-2022 खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या (तीसरी किस्त) 32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

मांग संख्या 35 **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व अनुपू खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35—पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

अनुपूरक अनुमान 2021—2022

(तीसरी किस्त)

### V. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :--

- i) लोक लेखा समिति ;
- ii) प्राक्कलन समिति ;
- iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
- iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2022–2023 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे:--

"कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों / ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022–2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें"।

## VI. विधान कार्य

# (पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक)

 हरियाणा विधिविक्तद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 एक मंत्री

हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

 हरियाणा लोकोपयोगिताओं के एक मंत्री परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

चण्डीगढ़: 3 मार्च, 2022.

राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।